

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 453 जयपुर/2007-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि विवेक शिक्षा समिति
जयपुर जिला जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय को सील से आज
दिनांक 29 माह सितम्बर सन दो हजार 2007
को जयपुर में किया गया।



(अशोक कुमार जोशी)

रजिस्ट्रार संस्थाएं

जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352

2751417



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 453/JAIPUR/2007-2008

दिनांक / DATE- 09-05-2025

VIVEK SIKSHA SAMITI JAIPUR जिला जयपुर राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा- 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड में संघारित किया जाता है।

VIVEK SIKSHA SAMITI JAIPUR DISTRICT Jaipur IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

| Sl. No. | Photo | Name | Gender | Post | Address | DOB |
|---------|-------|----------------------|--------|----------------|---------|------------|
| 1 | | Dr. Ram Swaroop Sahu | MALE | MEMBER | | 05/12/1968 |
| 2 | | Gyatri Devi | FEMALE | MEMBER | | 01/01/1970 |
| 3 | | Indu Bala Chaudhary | FEMALE | PRESIDENT | | 02/10/1981 |
| 4 | | jaiprakash dabaria | MALE | member | | 22/04/1985 |
| 5 | | jyoti | FEMALE | vice president | | 25/08/1985 |

Signature valid

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.05.09 10:27:34 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur



| Sl. No. | Photo | Name | Gender | Post | Address | DOB |
|---------|---|-------------------|--------|-----------|---------|------------|
| 6 |  | Jyoti Singh | FEMALE | member | | 15/07/1994 |
| 7 |  | Kajod Khan | MALE | MEMBER | | 01/02/1955 |
| 8 |  | Mamta Choudhary | FEMALE | MEMBER | | 30/01/1990 |
| 9 |  | Nimba Ram Bhaker | MALE | MEMBER | | 01/02/1971 |
| 10 |  | omprakash sharma | MALE | member | | 15/08/1979 |
| 11 |  | PADAM SINGH DHAKA | MALE | SECRETARY | | 12/05/1956 |
| 12 |  | pooja choudhary | FEMALE | MEMBER | | 11/05/1987 |
| 13 |  | prem devi | FEMALE | MEMBER | | 01/01/1993 |
| 14 |  | rampyari | FEMALE | MEMBER | | 01/01/1978 |
| 15 |  | Ruchi sharma | FEMALE | member | | 03/08/1988 |
| 16 |  | sanni deol verma | MALE | MEMBER | | 21/07/1981 |
| 17 |  | Saroj Choudhary | FEMALE | MEMBER | | 30/05/1979 |
| 18 |  | Seema | FEMALE | MEMBER | | 01/01/1995 |
| 19 |  | shankar lal | MALE | member | | 01/01/1989 |
| 20 |  | Soniya Dhayal | FEMALE | MEMBER | | 10/07/1995 |
| 21 |  | sunita yadav | FEMALE | member | | 03/09/1987 |
| 22 |  | sushila meena | FEMALE | MEMBER | | 02/01/1989 |
| 23 |  | VISHAL CHOUDHARY | MALE | TREASURER | | 21/06/1982 |
| 24 |  | Yogesh Binda | MALE | MEMBER | | 12/08/1978 |

Signature valid

Digitally signed by Ranveer Singh Parihar
 Designation : REGISTRAR
 Date: 2025.05.09 10:27:34 IST
 Reason: Approved
 Location: Jaipur





नोट- इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।



Signature valid

Digitally signed by Ranveer Singh
Parihar
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.05.09 10:27:34 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

गामान्यिक
२/१२

संख्या
= = 1/13

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेंट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग,

जयपुर-302 001

कोषाध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर

Indu Chandel
कोषाध्यक्ष

सचिव
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

(प्रा.) अधीन आरक्षण
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

DR

4/12/58

5

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

संघ-विधान पत्र
तथा
विधान (नियमावली)

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र अथवा संस्था के प्रबन्धन के स्वरूप के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन तभी मान्य होगा, जबकि वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।
प्रबन्धकारिणी में सुज्ञित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रबन्धकारिणी में न्यूनतम 3 पदाधिकारी होना आवश्यक है।
2. संस्था के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होने आवश्यक हैं। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
4. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
5. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर सभी आवेदक सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
6. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
7. अनावश्यक काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
8. धारा-20 : सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इन अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात्:-
पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, नैतिक अनाथ निधियां, [खार्दी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक विचारों के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संरक्षणों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
9. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
10. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष अथवा किन्हीं तीन पदाधिकारियों चाहे वे किसी भी पद पर कार्यरत न हों, के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ-पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पामपोर्ट साईज फोटो चस्पा का आकार प्रमाणित करवाया जावे।
11. आवेदन पत्र अधिष्ठाता पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
12. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।


सचिव
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

कोषाध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर


अध्यक्ष
विवेक शिक्षा समिति
कालवाड़, जयपुर (राज.)

13. आवेदन-पत्र का पृष्ठ 12 नोटरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना-पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में जिले के रजिस्ट्रार संस्थाएँ को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके कार्यालय में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जाये।
16. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
17. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट होने आवश्यक है।
19. अन्य संस्थाओं जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. रजिस्ट्रेशन फीस संबंधी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाएँ द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही चालान जनरेट कराके रजिस्ट्रार संस्थाएँ के हस्ताक्षर एवं निर्धारित पंजिका में इन्द्राज के पश्चात् ही SBBJ Bank/अधिकृत बैंक में जमा कराया जायेगा तथा जमा चालान की प्रतियाँ रजिस्ट्रार संस्थाएँ कार्यालय में प्रस्तुत की जाये।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थाएँ,

.....जयपुर राजस्थान.....

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है विवेक शिक्षा

समिति कालवाड

के नाम से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

संलग्न : संघ विधान-पत्र

तथा विधान (नियमावली)

भवदीय

विवेक शिक्षा


(अध्यक्ष/मंत्री)

विवेक शिक्षा समिति
कालवाड, जयपुर

प्रश्न विद्या संस्थान संस्थिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम: इस संस्था का नाम प्रश्न विद्या संस्थान
 संस्था का पंजीकृत कार्यालय कानपुर में स्थित है।
 तथा कार्यक्षेत्र: उत्तर प्रदेश
2. संस्था के उद्देश्य: इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
शिक्षण, अनुसंधान, शोध कार्य, छात्रों के कल्याण, शैक्षणिक विकास, शोध कार्य, शोध कार्य, शोध कार्य



1. प्रश्न विद्या संस्थान
2. संस्था के उद्देश्य
3. संस्था के उद्देश्य
4. संस्था के उद्देश्य
5. संस्था के उद्देश्य
6. संस्था के उद्देश्य

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष Pradyumn

Pradyumn

कोषाध्यक्ष

7.

- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष Pradyumn

Pradyumn

कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस सब विधान पर के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे राजस्वीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | हस्ताक्षर |
|----------|-----------------------|-------------|---|----------------|
| 1. | श्री श्री एन.एस. जोशी | शुद्धीकरण | म. 378, 202/203, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 2. | श्री. प्रमोद शिंदे | सामान्य काम | म. 10, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 3. | श्री. क. लाला शिंदे | शुद्धीकरण | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 4. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 5. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 6. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 7. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 8. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 9. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |

Pradyumn Joshi

Pradyumn Joshi

Pradyumn Joshi

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | हस्ताक्षर |
|----------|----------------------|-------------|--|----------------|
| 10. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 11. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 12. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 13. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 14. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 15. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 16. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 17. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |
| 18. | श्री. श्री. रतन लाला | सामान्य काम | 16/1, 20/10-4/पु. 1, मालवाड जिल्हा, सायूर, सायूर | Pradyumn Joshi |

Pradyumn Joshi

Pradyumn Joshi


Pradyumn Joshi

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्व पता | संस्थान |
|----------|--|-------------------------|---|----------|
| 19 | श्री. सुनील चण्डी देव श्री. राजू देवका देविका | कृषि/गृह | श्री. राजू देवका देविका प्लॉट नं. 5, अहमदाबाद नगरपालिका, अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 20 | श्री. राजू देवका देविका श्री. देविका देविका | श्री. राजू देवका देविका | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 21 | श्री. राजू देवका देविका | श्री. राजू देवका देविका | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |

अहमदाबाद
Rajulal
Rajulal

10
Rajulal
Rajulal

Rajulal
Rajulal



| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्व पता | संस्थान |
|----------|-------------------|---------|-----------|---------|
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

अहमदाबाद
Rajulal
Rajulal

11
Rajulal
Rajulal

Rajulal
Rajulal

7

8

9

10

11

12

13

14

15

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई साम्य निहित नहीं है।

14

अध्यक्ष
Prabul Kumar
मन्त्री

Kodum Singh
मन्त्री

Kaishik
कीर्तिप्राप्त

8. सदस्यता :-

निम्न शीर्षकता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकते हैं:-

- 1- संस्थ के कार्य क्षेत्र में निवास करते हैं।
- 2- जातिगत हैं।
- 3- पारल, दीवान्तिव न हैं।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखने हैं।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हैं।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1- संरक्षक
- 2- निरीक्ष
- 3- सम्माननीय
- 4- साधारण

उपनिम्न संख्या 4 में अधिक सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- 1- संरक्षक राशि..... 11000/- वार्षिक/आवृत्त
- 2- निरीक्ष राशि..... 5000/- वार्षिक/आवृत्त
- 3- सम्माननीय राशि..... 21000/- वार्षिक
- 4- साधारण राशि..... 11000/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुहर अथवा र..... की परिसर की दर से वना करवाई जा सकती।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकता है :-

- 1- नृत्य होने पर
- 2- त्याग-पत्र देने पर
- 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4- प्रत्यक्षकारियों द्वारा दोषों पाये जाने पर।

15

अध्यक्ष
Prabul Kumar
मन्त्री

Kodum Singh
मन्त्री

Kaishik
कीर्तिप्राप्त

उक्त प्रकाश के निष्कासन की अवधि 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु श्रेय मन्त्री यात्री तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:- संस्था के उद्दिष्टों पर संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगी।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-

- 1- प्रत्येक कार्य को सुचारु कराना।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना।
- 3- प्रत्येक कार्य को सुचारु रूप से चलायें और सभा के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य को सुचारु रूप से चलायें।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्तन कर सकेंगी।

10. साधारण सभा की बैठक :-

- 1- साधारण सभा की बैठक में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकत पर विशेष सभा आयोजित करी जा सकती।
- 2- साधारण सभा की बैठक का समय कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक को सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरस के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकती जो पुनः 7 दिन पर्यन्त निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकती। ऐसी स्थिति में कोरस की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विधानीय विषय यदि होंगे तो पूर्व (जे.ए. में से)।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इन्हें से जो भी नाम हों, के लिखित आवेदन करते पर भी/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/पदायी द्वारा बैठक न बुलाई जाये पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य गोपनीय जारी कर सकते तथा इस प्रकार की बैठक से होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष
(Rashid Khan)

Adnan Jafar
मन्त्री

Kaushik
कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रत्येक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-साठ

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पर या पदनाम परिवर्तन करने वाले, तो यहाँ उल्लिखित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रत्येक कार्यकारिणी में सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- 1- संस्था को प्रत्येक कार्यकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी को न्यायिक प्रत्येक कार्यकारिणी द्वारा ही चयनित किया जायेगा।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

- 1- सदस्य चयन/निर्वाचित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैधानिक कार्यकारिणी को निर्वाचित करना तथा उनके वेतन पत्रों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्ययसूची हेतु उद्यम समीक्षा करना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष
(Rashid Khan)

Adnan Jafar
मन्त्री

Kaushik
कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठक :- 1- कार्यकारिणी की बैठक में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अप्रत्यक्ष/मंजी द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक को सूचना परचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थापित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थिति बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेंडा में थे। ऐसी स्थिति बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों को उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा को कार्यकारी को पुष्टि आगामी 19 सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- पत्र बढावर आदि पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-सचिवी :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यकारी लिखाना तथा रिकार्ड रखना।



6. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्द्रा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रियकृत बैंक में सुरक्षित/रजि. जायेगी।

2- अध्यक्ष/सचिवी/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में सेन देन संभव होगा।

संस्था
Rohini
Ranjan

Radam Singh
सचिवी

Kavish
कोषाध्यक्ष

Rohini
Ranjan

Radam Singh
सचिवी

Kavish
कोषाध्यक्ष

विवेक शिक्षा समिति, जयपुर

ग्राम पो0 कालवाड, जयपुर

(21)

दिनांक 20-9-07

क्रमांक

तुलनात्मक विवरण

| कस | प्रस्ताव संख्या | पुराना नियम | नया नियम |
|----|-----------------|---|---|
| 1- | 3 उद्देश्य :- | <p>1- बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना ।</p> <p>2- समस्त नागरिकों के बौद्धिक विकास के लिए कार्य करना ।</p> <p>3- विद्यालय संचालन कर बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना ।</p> <p>4- पिडछा वर्ग एससी, एसटी के छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना ।</p> <p>5- बालकों में खेलकूद की भावनाएँ जागृत करना ।</p> | <p>1- बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना ।</p> <p>2- समस्त नागरिकों के बौद्धिक विकास के लिए कार्य करना ।</p> <p>3- विद्यालय संचालन कर बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना ।</p> <p>4- पिडछा वर्ग एससी, एसटी के छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना ।</p> <p>5- बालकों में खेलकूद की भावनाएँ जागृत करना ।</p> <p>6- संस्था द्वारा विद्यालय महाविद्यालय, बीएड, एमएड, एसटीसी, आईटीआई विद्यालयों का संचालन करना ।</p> <p>7- संस्था किसी भी समान उद्देश्यवाली संस्था को अपनी चल व अचल सम्पत्ती, चलता हुआ विद्यालय, महाविद्यालय, बीएड कालेज आदि के संचालन हेतु हस्तांतरित कर सकती है तथा किसी अन्य समान उद्देश्य वाली संस्था से चलता हुआ विद्यालय, बीएड कालेज महाविद्यालय आदि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ एवं चल व अचल सम्पत्ति को गृहण कर उनका संचालन करना ।</p> <p>8- संस्था द्वारा महाविद्यालय, बीएड, महाविद्यालय एसटीसी, एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना ।</p> |

राज. संस्थाओं के गृहण अधिनियम 1958

के अन्तर्गत

यह प्रस्तावित किया जाता है कि यह संस्था विद्यालयों को संचालन करने में सक्षम हो सके जो पृष्ठ 1, से पृष्ठ 10, तक है, की शर्तों पर।

1. मकाल लेने की तिथि 20-09-07

2. मकाल तैयार करने

बादले के हस्ताक्षर

जयपुर

Prateek Chauhan

31/09/07

Kailash

जयपुर

Kailash

जयपुर

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,

जयपुर ।

22

क्रमांक का/रजि/संस्थायें/ 463

जयपुर, दिनांक 29-9-07

अध्यक्ष/अधी,

श्रीमती इन्दू चौधरी / पर्यटन सिंह काका

प्रत्येक शिक्षा समिति

कालवाड, जोधपुर रोड जयपुर

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण के क्रम में ।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 453 / जयपुर 20.07.08
दिनांक 29-9-07 संलग्न है । जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें ।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचानायें
भिजवाना आवश्यक है :-

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय के
शापकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित ।
2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है कि दौरान हुए
समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो ।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों,
न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो ।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की
प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15
दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए ।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना
अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से
इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा
पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम
दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्ध जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने